

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या -1451/2007/जयपुर

सहायक आयुक्त,  
घट तृतीय, विशेष वृत, जयपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स मोदी इण्डस्ट्रीज लिमिटेड  
जयपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित:

श्री वैभव कासलीवाल  
उप राजकीय अभिभाषक  
श्री अलकेश शर्मा  
अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से

अप्रार्थी की ओर से

निर्णय दिनांक: 20.1.2014

निर्णय

यह अपील सहायक आयुक्त, घट तृतीय, विशेष वृत, जयपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे अपीलीय अधिकारी कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 146/ आरएसटी/ए/2005-06 में पारित दिनांक 30.10.2006 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि आलौच्य अवधि 1998-99 में व्यवसाई द्वारा अपने चारों तिमाही बिक्री प्रपत्र क्रमशः 12, 19, 9 व 10 दिन की देरी के प्रस्तुत किये गये, जिनमें से विलम्ब अवधि 12, 9 व 10 के लिए आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग के परिपत्र की अनुपालना में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 61 के तहत विलम्ब हेतु छूट प्रदान करते हुए शेष 19 दिनों की देरी के लिए अधिनियम की धारा 61 के तहत 190.00 की शास्ति कर निर्धारण अधिकारी ने आरोपित की। आलौच्य अवधि में व्यवसाई द्वारा घोषणा पत्र एस टी-18ए फार्म काम में लिए गए हैं तथा राजस्थान बिक्री कर नियमों के नियम 53(2) के तहत व्यवसाई द्वारा उक्त कर निर्धारण अवधि में काम में लिए गए घोषणा पत्र एस टी-18ए की डुप्लीकेट पोर्शन ऑफ फॉर्म एसटी-18ए सब नियम (1) के तहत कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष तिमाही के 15 दिवस के भीतर-भीतर पेश करने होते हैं। परन्तु व्यवसाई द्वारा घोषणा पत्र एसटी-18ए की डुप्लीकेट पोर्शन आदेश पारित किये जाने की दिनांक तक प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अतः अधिनियम की धारा 68 के तहत रु 1000.00 की शास्ति आरोपित की गई। साथ ही आलौच्य अवधि में व्यवसाई द्वारा नियमित देय मासिक कर विलम्ब से जमा कराने के कारण

अधिनियम की धारा 58 के तहत ब्याज रूपये 9203.00 आरोपित किया गया। व्यवसाई द्वारा आलौच्य अवधि में पेन्ट का विक्रय रू. 103819.54 बिना अधिभार के एवम् 69763.94 अधिभार सहित कुल रू. 172583.48 का 3 प्रतिशत की दर से घोषणा प्रपत्र एस टी-17 के समर्थन में दर्शाया था, जिसके समर्थन में व्यवसाई द्वारा 114709.05 के घोषणा प्रपत्र एसटी-17 पेश नहीं किये। इस राशि में रूपये 97625.00 की राशि बिना अधिभार के थी, जिस पर 13 प्रतिशत की दर से कर रूपये 12691/- आरोपित किया गया एवम् रू. 17084/- की राशि जो अधिभार सहित थी पर 13 प्रतिशत की दर से कर रूपये 2221/- एवं अधिभार रूपये 267/- आरोपित किये गये तथा धारा 58 के तहत ब्याज रूपये 8197/- आरोपित किया गया। आलौच्य अवधि में व्यवसाई द्वारा 12 प्रतिशत कर योग्य विक्रय मद में रूपये 25,51,923/- का विक्रय विभिन्न वस्तुओं का दर्शाया था, जिसमें व्यवसाई से पेन्ट एवं वारनिश के अलावा जो अन्य वस्तुओं की बिक्री दर्शाई गई थी, की सूची पेश करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया, नोटिस के जवाब में प्रस्तुत जवाब संतोषप्रद नहीं पाये जाने के कारण अस्वीकार करते हुए पूर्व में 30.11.98 तक रूपये 584736/- थी तथा 01.12.98 से 31.03.99 तक की थिनर, ओ.बी.डी.विमो आदि की बिक्री रूपये 581538.00 की थी इस प्रकार कुल 1166275.81 की बिक्री जो 16 प्रतिशत की दर से कर योग्य थी, को करापवंचन की नियत से 12 प्रतिशत की मद में दर्शाया था, इस कारण इस राशि पर अंतर कर 4 प्रतिशत की दर से कर रूपये 46051/- एवम् इस राशि पर रूपये 5598/- अधिभार आरोपित करते हुए इस समस्त राशि पर धारा 58 के तहत ब्याज रूपये 28214/- आरोपित किया गया एवम् करवंचना की नियत से अधिक कर दर की वस्तु को कम कर दर की वस्तु में शामिल करने के कारण धारा 65 के तहत शास्ति, रूपये 104498/- आरोपित की गई, जिन्हें कि अपीलीय अधिकारी के समक्ष विवादित करने पर, उन्होंने अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2006 पारित कर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर, ब्याज एवं अधिभार को यथावत रखते हुए अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 1,04,498/-को अपास्त कर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है। अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 1,04,498/-अपास्त करने के विरुद्ध राजस्व की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ने कर योग्य बिक्री को करापवंचन की मंशा से कम

दर से प्रदर्शित की है, जिससे अप्रार्थी व्यवहारी की करापवंचन की मंशा स्पष्ट रूप से प्रमाणित होती है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,04,498/- आरोपित की थी, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अविधिक रूप से अपास्त किया गया है। अतः अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को यथावत रखते हुए अपीलीय अधिकारी के आदेश को अपास्त करने का उप राजकीय अभिभाषक द्वारा निवेदन किया गया।

अप्रार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अप्रार्थी व्यवहारी द्वारा समस्त संव्यवहारों को अपनी लेखा पुस्तकों में इन्द्राज किया गया है तथा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। उनका कथन है कि केवल मात्र कर दर अन्तर एवं कर विभिन्नता के आधार पर करापवंचन किया जाना प्रमाणित नहीं होता है। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में अपीलीय स्तर पर प्रोद्धरित राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा मैसर्स गुडलक नेरोलक पेन्टस लिमिटेड, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत्-द्वितीय, जयपुर अपील संख्या 911 2001/जयपुर एवं सहायक आयुक्त, एन्टीईवेजन, वृत्-द्वितीय, जयपुर बनाम गुडलक नेरोलक पेन्टस लिमिटेड, जयपुर 326 / 2002 / जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 15.11.2002 (5 टैक्स अप डेट 20) का हवाला देते हुए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2006 का समर्थन करते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का ससम्मान अध्ययन किया गया। हस्तगत प्रकरण के तथ्यों के अनुसार कर प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर योग्य बिक्री को करापवंचन की मंशा से कम दर से प्रदर्शित किया गया है, जिससे अप्रार्थी व्यवहारी की करापवंचन की मंशा स्पष्ट रूप से प्रमाणित मानकर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,04,498/- आरोपित की गयी थी, जिसको अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया है।

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत इसलिए शास्ति आरोपित की गई है कि व्यवहारी ने अधिक कर योग्य बिक्री को कम कर दर से प्रदर्शित किया है, इस कारण अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित की है। कर निर्धारण अधिकारी की उक्त अवधारण से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा कोई संव्यवहार छुपाया नहीं गया है बल्कि प्रत्येक संव्यवहार का लेखा पुस्तकों में इन्द्राज किया गया है। केवल कम दर की भिन्नता के आधार पर

करापंचन किया जाना मानकर अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति आरोपित करना विधिक नहीं है। व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक की ओर से उद्धृत न्यायिक दृष्टान्त में राजस्थान कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ द्वारा मैसर्स गुडलक नेरोलक पेन्टस लिमिटेड, जयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापंचन, वृत-द्वितीय, जयपुर अपील संख्या 911 2001 / जयपुर एवं सहायक आयुक्त, एन्टीईवेजन, वृत-द्वितीय, जयपुर बनाम गुडलक नेरोलक पेन्टस लिमिटेड, जयपुर 326 / 2002 / जयपुर में पारित निर्णय दिनांक 15.11.2002 (5 टैक्स अप डेट 20) में ऐसा ही मत प्रतिपादित किया गया है, जिसका सारगर्भित अंश निम्न प्रकार है :-

As regards the levy of penalty u/s 65 of the Act, we tend to agree with the contention of the learned counsel for the appellants when he contended that it was not warranted in the facts of this case. The fact that the appellants recorded all their transactions of sale in their books of account and did not conceal any thing from the return nor did they submit any inaccurate particulars therein they could not be accused of the charge of evading tax simply because they held on to a view which was at a variance from that of the learned AA. the collection of refundable contingency charges could not be taken as the collection of tax under the Act and, therefore, the levy of penalty merely on this ground cannot be justified in law. in these circumstances we do not find anything wrong in the order passed by the learned DC (Appeals) setting aside the order of penalty passed u/s 65 of the Act.

विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा कर बोर्ड की माननीय खण्डपीठ के उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रु. 1,04,498/- को अपास्त किया है, जिसमें कोई अविधिकता नजर नहीं आती है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.10.2006 की पुष्टि करते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)  
सदस्य

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

अपील संख्या - 2104/2011/चित्तौडगढ़

.....अपीलार्थी.

मैसर्स सत्यनारायण, शिवप्रकाश,  
कपासन, चित्तौडगढ़।

बनाम

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,  
वार्ड-तृतीय, चित्तौडगढ़।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री अमर सिंह - सदस्य

**उपस्थित : :**

श्री राकेश मेहता,  
अभिभाषक

.....अपीलार्थीगण की ओर से.

श्री अनिल पोखरणा,  
उपराजकीय अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

**निर्णय दिनांक : 20/01/2014**

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 47/वैट/2010-11 में पारित किये गये निर्णय दिनांक 17.08.2011 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।
2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी का वर्ष 2007-08 का कर निर्धारण दिनांक 22.03.2010 को सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वार्ड-तृतीय, चित्तौडगढ़ (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा किया गया। जिसमें कमीशन एजेन्ट के माफ़र्ट की गयी बिक्री का फार्म वैट-36 पेश नहीं करने पर कर रूपये 39,826/- ब्याज रूपये 9705/- कुल मांग रूपये 49,531/- कायम की गयी। उक्त मांग के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गयी। अपीलीय अधिकारी द्वारा अपने आदेश दिनांक 17.08.2011 से अपीलार्थी की अपील को अस्वीकार कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध यह द्वितीय अपील पेश की गयी है।
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
4. अपीलार्थी की ओर से अधिकृत प्रतिनिधि ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा बिना कोई सुनवाई का अवसर दिये यह मांग कायम की गयी है। तथा उपायुक्त (अपील्स) द्वारा भी इसे यथावत रखने में भूल की है। उनके द्वारा कमीशन एजेन्ट के माफ़र्ट यह बिक्री की गयी थी। जिस पर छूट दी जानी चाहिये थी। अतः अपील स्वीकार करने का आग्रह किया।

लगातार.....2

5. विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक श्री अनिल पोखरणा द्वारा कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के निर्णय को उचित बताकर उसे कायम रखने की प्रार्थना की।

6. दोनों पक्षों की बहस सुनी गई एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा फार्म वैट-36 व वैट-36ए पेश नहीं किये हैं जिनके कारण कमीशन एजेन्ट के मार्फत की गयी बिक्री पर कम जमा का सत्यापन नहीं हो सकता है। उक्त फार्म के अभाव में यह छूट देय नहीं है। इस सम्बन्ध में राजस्थान वैट नियम 2006 के नियम 37(2) के प्रावधान निम्न प्रकार है :-


37. Accounts and documents relating to principal and agent:

(2.) Where the principal dispatches goods for sale to his commission agents under sub-rule (1) and produces certificate of the sale proceed in VAT-36 received from his commission agent, such principal shall discharge his tax liability as par from as par from VAT-36A

उक्त नियम के अध्ययन से स्पष्ट है कि वैट फार्म 36 व 36ए पेश किया जाना आवश्यक है। उक्त के अभाव में कमीशन एजेन्ट द्वारा कर जमा कराया या नहीं इसका सत्यापन नहीं होता है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उचित रूप से कर व ब्याज आरोपित किया है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है।

7. फलतः अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
20-1-14

( अमर सिंह )  
सदस्य